

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई ए एस)

संख्या
205/2023

दायत दिनक

05.06.2023

उनवन

निर्णय दिनक

30.01.2024

श्री गणपतसिंह राजपूत आत्मज स्वर्गीयश्री केशर जी राजपूत उम्र- वयस्क पेशा- कृषि
निवासी रावला चौक खायडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री शंकरसिंह राजपूत आत्मज श्री प्रतापसिंह जी राजपूत उम्र- वयस्क पेशा-कृषि
निवासी-रावला चौक खायडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) ।

2 श्रीमति उच्छवकंवर पत्नी प्रतापसिंह जी राजपूत उम्र- वयस्क निवासी- खायडा तहसील
व जिला भीलवाडा (राज.) ।

3 श्रीमति बसुकंवर पत्नी कान जी उर्फ कानसिंह जी राजपूत उम्र- वयस्क निवासी- रावला
चौक खायडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) ।

4 श्री हरिसिंह राजपूत आत्मज सज्जनसिंह जी राजपूत उम्र- वयस्क निवासी- रावला
चौक खायडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) ।

5 श्रीमती लाली गाडरी पत्नी स्वर्गीयश्री जमनालाल जी गाडरी उम्र- वयस्क पेशा-कृषि
निवासी गाडरी मौहल्ला खायडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) ।

6 श्री कैलाश पुरी आत्मज हजारी जी गोस्वामी उम्र- वयस्क निवासी- खायडा तहसील व
जिला-भीलवाडा (राज.) ।

7 श्री हरिसिंह आत्मज छगनसिंह जी राजपूत उम्र- वयस्क निवासी खायडा तहसील व
जिला-भीलवाडा (राज.) ।

8 श्री भगवानसिंह राजपूत आत्मज श्री रणजीतसिंह जी राजपूत उम्र- वयस्क निवासी-
खायडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.) ।


9 श्री भैरूसिंह राजपूत आत्मज श्री शम्भूसिंह जी राजपूत उम्र- वयस्क निवासी- खायडा
तहसील व जिला भीलवाडा ।

10 श्री धनसिंह राजपूत आत्मज श्री रणजीतसिंह जी राजपूत उम्र- वयस्क निवासी - खायडा
तहसील व जिला भीलवाडा ।

11 श्री दयालसिंह राजपूत आत्मज श्री शौभूसिंह जी राजपूत उम्र- वयस्क निवासी- खायडा
तहसील व जिला भीलवाडा ।

राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील कार्यालय भीलवाडा ।

-विपक्षीगण



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रार्थना अधिवक्ता प्रार्थी कैलाश आगाल
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 मू-राजस्व अधिनियम -
निर्णय -

संदेह में विवक्षित इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र
धारा 111 व 128 राज0 मू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
खायड़ा प0ह0 खायड़ा मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा
जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 64 की अभिलिखित आराजियात 145/1,
695/3, 923, 147, 693 कुल किता 06 कुल रकबा 0.7841 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की
खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौरी खातेदारान है। प्रार्थी
अप्रार्थीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद
रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की गौके पर अभिलेख अनुसार नपती की
गौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार
काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये
दिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 के समन बाद तामिल प्राप्त होने
पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 के
विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
भीलवाडा प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर
भीलवाडा प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात
पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चितन मनन किया
पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का
अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात
जैर-बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन
(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में
वर्णित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 मू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि
खायड़ा प0ह0 खायड़ा मू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा
जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 64 की अभिलिखित आराजियात 145/1,
695/3, 923, 147, 693 कुल किता 06 कुल रकबा 0.7841 हैक्टेयर भूमि फरिक्केन
के माफ़ी से सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से


उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा

समूह किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो
नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगडी) हेतु
तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त
किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा
मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके
पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में
जमावाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हद निवृत्ति सोमनाथ)
उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा